


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

हैदराबाद, 15 अप्रैल, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/3/93/2015.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 6ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 कहलाएंगे।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ - इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --
 - (क) 'अधिनियम' से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
 - (ख) 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (ग) 'शेयरों के अंतरण' में वर्तमान शेयरधारक से किसी अन्य व्यक्ति को शेयरों का

